

**राजस्थान सरकार**  
 आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
 Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan  
 Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
 e-mail: [jdacad1960@gmail.com](mailto:jdacad1960@gmail.com) Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/Online/रिफ्रेशर/2021/289

दिनांक: 17 दिसम्बर, 2021

प्राचार्य,  
 संबंधित राजकीय महाविद्यालय,  
 राजस्थान।

विषय:- संशोधित तिथि अनुसार ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत  
 संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7 (4) यु.जी.सी/अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020  
 विभाग के पत्रांक 263, 183, 240, 267, एवं 239 दिनांक 17.11.2021, 30.07.2021, 20.10.2021, 18.11.2021, एवं 20.10.2021


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को संशोधित तिथियों में ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति दी जाती है-

क्र.स.	नाम सह/सहायक आचार्य/श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की तिथि	कोर्स की संशोधित तिथि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1.	प्रतिभा सोनी	वनस्पति शास्त्र	राज.महा. जोधपुर	रिफ्रेशर	22.11.2021 से 06.12.2021 तक	16.12.2021 से 30.12.2021 तक	जय नारायाण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
2	कृष्ण कुमार मीना	भौतिक शास्त्र	राज.कन्या महा.भीलवाड़ा	रिफ्रेशर	22.11.2021 से 06.12.2021 तक	16.12.2021 से 30.12.2021 तक	जय नारायाण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
3	संगीता कुम्पावत	ईएफएम	राज.महा. जोधपुर	रिफ्रेशर	01.12.2021 से 15.12.2021 तक	17.12.2021 से 31.12.2021 तक	जय नारायाण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
4	सुभाष चंद खटीक	भूगोल	राज.महा. अलवर	रिफ्रेशर	22.11.2021 से 06.12.2021 तक	16.12.2021 से 30.12.2021 तक	जय नारायाण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर
5	अंजू औझा	भूगोल	राज.लोहिया महा. चूरु	रिफ्रेशर	1.12.2021 से 15.12.2021 तक	17.12.2021 से 31.12.2021 तक	जय नारायाण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. वेबसाइट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।

  
 (डॉ सौमित्र नाथ झा)  
 संयुक्त निदेशक(अकादमिक)